पत्रांक–698/Tech/2020

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–26.02.2020

सेवा में,

Sri Anil Kumar Mishra,
Shradhanand Bal Mandir,
Senior Secondary School,Near Ring Road, Kamre, Ratu Road, Ranchi

विषयः– **निर्मित Shradhanand Bal Mandir Senior Secondary, राँची स्कूल, भवन का अग्नि–सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण–पत्र का निर्गत करने के संबंध में।**

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में Shradhanand Bal Mandir Senior Secondary स्कूल राँची भवन के अग्नि–सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, पिस्का मोड़, राँची से कराई गई। उनके ज्ञापांक–56 दिनांक–22.02.2020 के द्वारा समपर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निर्मित स्कूल भवन भवन के लिए निम्न शर्त्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है कि :–

1. Set–Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखा जायेगा।
2. स्कूल भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
3. निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
4. किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लिया जायेगा।
5. अपातकाल की अवस्था के लिए Escape Routes के साथ–साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का Display समुचित स्थानों पर किया जायेगा तथा हर समय उसे संधारित रखा जायेगा।
6. इस बात का खास ध्यान रखा जायेगा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रवेश अथवा निकास द्वार में न तो ताला लगाया जायेगा न हीं बाहर से बोल्ट किया जायेगा।
7. स्कूल भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीको की जानकारी का रहना आवश्यक है।
8. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें स्कूल भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रील में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
9. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पंजी में संधारित रखा जाय।
10. First Aid Fire Fighting Arrangements को IS Specifications के अनुसार हर समय अच्छी तरह संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
11. किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
12. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
13. आकस्मिक सेवाओं के टेलिफोन नम्बर का जो डिस्प्ले किया गया है, उसे निर्धारित रखा जायेगा।
14. निर्मित स्कूल भवन के दो ब्लॉक के बीच से तैतीस हजार एवं ग्यारह हजार बोल्ट बिजली तार पार किया है, परन्तु स्कूल प्रबंधक द्वारा एक शपथ–पत्र दिया गया है कि छः माह के अन्दर बिजली विभाग से तार को हटा लिया जायेगा या अण्डर ग्राण्उड करा लिया जायेगा। शपथ–पत्र के आधार पर इन्हें अनापत्ति प्रमाणपत्र दिनांक–30.06.2020 तक के लिये मान्य है।

BANDHU ORAON

Digitally signed by BANDHU ORAON
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, cn=BANDHU ORAON, serialNumber=bbb8d056bfb786d39b4c8876db8734d26ec9cfaf87ab115ea2c0348e16ab6005, postalCode=834002, 2.5.4.20=1939424e11492aab227f7c7653cba3d3feeb7bfb517b044a061986ba64a39d09, st=Jharkhand
Date: 2020.02.26 16:20:31 +05'30'

(बन्धु उराँव)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।